By
Rahul Kumar Jha
Dept.of Political Science

Lecture-7

Topic – Constituent Assembly

Class – B. A. Degree - II (Hons. P-III)

Subject – Political Science

Date – 22 July, 2020

By Rahul Kumar Jha.

संविधान सभा :-

कैबिनेट मिशन योजना के तहत निर्मित संविधान सभा में ब्रिटिश भारत की विधान सभाओं से चुने गए सदस्यों का पार्टीवार का ब्यौरा इस प्रकार था- कांग्रेस - 208, मुस्लिम - 73, यूनियनिस्ट - 1, यूनियनिस्ट मुस्लिम - 1, यूनियनिस्ट अनुसूचित जातियां - 1 कृषक प्रजा - 1, अनुसूचित जाति परिसंघ - 1, सिख (कांग्रेसी) - 1, कम्युनिस्ट - 1, स्वतंत्र - 8 | इस प्रकार कुल 296 सदस्य को निर्वाचित माना गया |

14-15 अगस्त, 1947 को देश के विभाजन तथा उसकी स्वतंत्रता के साथ ही, भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के बंधनों से मुक्त हो गई और पूर्णतया प्रभुसत्ता संपन्न निकाय तथा देश में ब्रिटिश संसद

के पूर्ण अधिकार तथा उसकी सत्ता की पूर्ण उत्तराधिकारी बन गई। इसके अलावा, 3 जून की योजना की स्वीकृति के बाद, भारतीय डोमिनियन के मुस्लिम लीग पार्टी के सदस्यों ने भी विधान सभा में अपने स्थान ग्रहण कर लिए। कुछ भारतीय रियासतों के प्रतिनिधि पहले ही 28 अप्रैल, 1947 को विधान सभा में आ चुके थे। 15 अगस्त 1947 तक अधिकांश रियासतों के प्रतिनिधि विधान सभा में आ गए और शेष रियासतों ने भी यथासमय अपने प्रतिनिधि भेज दिए।

इस प्रकार, संविधान सभा भारत में सभी रियासतों तथा प्रांतों की प्रतिनिधि तथा किसी भी बाहरी शक्ति के आधिपत्य से मुक्त पूर्ण प्रभुत्वसंपन्न निकाय बन गई। संविधान सभा भारत में लागू ब्रिटिश संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को, यहां तक कि भारतीय स्वतंत्रता एक्ट को भी रद्द अथवा परिवर्तित कर सकती थी।

संविधान सभा का विधिवत उद्घाटन नियत दिन सोमवार, 9 दिसंबर, 1946 को प्रातः ग्यारह बजे हुआ। 13 दिसंबर, 1946 को जे. एल. नेहरू ने ऐतिहासिक उद्देश्य-प्रस्ताव पेश किया। सुंदर शब्दों में तैयार किए गए उद्देश्य-प्रस्ताव के प्रारूप में भारत के भावी प्रभुतासंपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की रूपरेखा दी गई थी।

इस प्रस्ताव में एक संघीय राज्य व्यवस्था की परिकल्पना की गई थी, जिसमें अवशिष्ट शक्तियां स्वायत्त इकाइयों के पास होतीं और प्रभुता जनता के हाथों में। सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, प्रतिष्ठा की, अवसर की और कानून के समक्ष समानता, विचार धारा, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था, पूजा, व्यवसाय, संगम और कार्य की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई।

CHAPTER CONTINUES---